ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

''वैश्विक परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण''

डॉ. राजरानी खुराना
प्राध्यापक अर्थशास्त्र
शासकीय जे.एन.एस.पी.जी.महाविद्यालय शुजालपुर।

प्रस्तावना :–

महिला सशक्तिकरण मानवीय सतत् विकास के अंतर्गत एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिससे महिला सशक्त हो सके। महिला सशक्तिकरण वैश्विक अभिलाषा है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति में सुधार से विश्व कल्याण संभव है,

''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः''

कि श्लोक से स्पष्ट है कि किसी भी समाज की खुशहाली का आधार उस समाज में महिलाओं के स्तर व उन्हें प्राप्त सम्मान से आंका जा सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे सेनानायक ने महिलाओं को शिशु व समाज दोनों की अनुषांगिक पाठशाला स्वीकारते एक महान राष्ट्र के निर्माण में उनकी उपायदेयता यूं ही अकारण स्वीकार नहीं की थी, इसका स्पष्ट अर्थ है कि महिला उत्थान के बिना राष्ट्र उत्थान संभव नहीं है। 1

समाज में इन्हीं महिलाओं का योगदान मां, पत्नी, बहन व पुत्री के रूप में अविस्मरणीय है, किंतु दुर्भाग्यवश वैश्वीकरण के इस युग में जहां हम आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, वहां यही महिला अपने सशक्तिकरण के लिए आज भी संघर्षरत् है, महिलाओं की वैश्विक स्थिति वर्तमान में भी असमानता, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न एवं भेदभाव से ग्रसित है, जिस कारण आज भी महिला सशक्तिकरण संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का एक मुद्दा किसी एक राष्ट्र, धर्म या समुदाय का विषय नहीं है अपितु यह अंतरराष्ट्रीय विषय है। 2

बड़ी ही दुखद बात है कि विश्व जनसंख्या में आधे का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला आबादी आज भी अपने विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों को पूर्णता प्राप्त करने में असफल है यह कारण है कि, विश्व के 66 प्रतिशत कार्यो का संपादन करने वाली महिलाओं की आय विश्व आय का मात्र 10प्रतिशत है। एक विश्व की कुल संपत्ति में उनकी भागीदारी महज 1प्रतिशत है। 3

आय, व्यवसाय, संपत्ति, उच्च पदों पर नियुक्ति, राजनीतिक सहभागिता, विवाह, परिवार नियोजन, ग्रह स्वामित्व आदि मामलों में वे भेदभाव एवं समानता की शिकार है, उनके प्रति यौन शोषण, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, अपहरण, कन्या भ्रूण हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, चाहे विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र कोई भी इन समस्याओं से मुक्त नहीं है, यद्यपि महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विधियों का निर्माण किया गया है, जिनका उद्देश्य महिला असमानता एवं भेदभाव को समाप्त कर उनके विरुद्ध हो रहे शोषण अत्याचार एवं हिंसा को रोकना है, परंतु अपने निर्माण के कई वर्षो बाद भी वर्तमान परिदृश्य में इन विधियों की प्रभावशीलता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, इनका निष्क्रिय क्रियान्वयन महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, अतः परम आवश्यक है कि महिला उत्थान हेतु बनाए गए विभिन्न कार्यक्रम विधियों एवं योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुएउन तथ्यों को ज्ञात किया जाए, जो इन विधियों के सफल क्रियान्वयन में बाधक है।

विधियों का निर्माण मात्राकर देने से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हम विभिन्न विधियों के निर्माण के कई दशक बाद भी

Copyright • 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

महिला सशक्तिकरण की चर्चा नहीं कर रहे होते हैं, इतिहास इस बात बात का साक्षी है कि रणनीति पर प्रभावी अमल करने से ही विभिन्न समस्याओं के समाधान संभव हुऐ है।

महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषा :–

सामान्य अर्थो में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें महिला बिना किसी सहारे के अपनी आवाज उन क्षेत्रों में बुलंद कर सके जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं महिलाओं को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सर्वागीण विकास एवं सुद्रणता ही महिला सशक्तिकरण है, अतः महिला सशक्तिकरण का दूसरा पहलू है कि लिंग असमानता अर्थात महिला और पुरुषों को समान दर्जा, क्षमता एवं अधिकार। 4

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार :–

''सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी को सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत एवं आत्मविश्वास बनाना है, ताकि वे अपने` जीवन को नियंत्रित कर सके एवं अपने अधिकारों की मांग कर सकें'' इसका मतलब महिलाओं को शक्ति प्रदान कर समाज में उन्हें एक औरत होने की चुनौतियां का सामना करने के लिए मदद करना ही महिला सशक्तिकरण है।

कोफी अन्नान के अनुसार :–

महिला सशक्तिकरण एक ऐसा औजार है, जो महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है,

सशक्तिकरण की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग–अलग है लेकिन उसका जो मूल आधार है वह जाति, धर्म, व्यवसाय एवं राष्ट्रीयता के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, इसी आधार पर यूनाइटेड नेशन ने महिला सशक्तिकरण कस अर्थ पांच बिंदुओं में निहित कर परिभाषित किया गया है।

01. स्वयं को लायक मानने की भावना ।

02. विकल्पों का निर्धारण करने का अधिकार ।

03. अवसरों एवं संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार था ।

04. घर के बाहर एवं भीतर स्वयं को नियंत्रित करने का अधिकार ।

05. सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करना ।

अतः हम कह सकते हैं, कि जो दूसरों पर निर्भर है वही आशक्त है जो किसी पर निर्भर नहीं है, वह सशक्त है

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता :–

19वी सदी से पूर्व महिला अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति अधिकारों से पूर्णता वंचित थी, उनकी स्थिति पित्रसत्तात्मक समाज में मात्र पुरुषों की सेविका के रूप में थी, वे तत्कालीन समाज में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, संपत्ति, स्वामियों एवं मत संबंधी अधिकारों से वंचित थी, एवं उन्हें प्रशासन एवं राजनीतिक में सहभागिता से भी विमुख रखा गया था। वे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराधों की शिकार थी, महिलाओं की इस दयनीय एवं करुण स्थिति ने समाज में समानता के पक्षधर नारीवादी समाज

 Copyright • 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

सेवियों को महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा दी और इन सामाजिक संगठनों की सहायता प्राप्त कर सदियों से शोषित एवं उपेक्षित महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। 5

परिणाम स्वरूप 19वी सदी के प्रारंभ के साथ ही संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर में महिला संबंधी विधियों का निर्माण आरम्भ हुआ, धीरे धीरे शिक्षा, रोजगार व्यवसाय, प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया और राजनीति में महिला की सहभागिता प्रारंभ हुई।

किंतु दुर्भाग्यवश महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम 21वीं सदी में प्रवेश करने के बावजूद भी अपने वांछित उद्देश को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है।

महिला संबंधी विभिन्न विधियों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्माण के दशकों वर्ष बाद भी महिला आज उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाई है, जिन्हें उनके संदर्भ में आदर्श समझा जावें।

विश्व जनसंख्या का जो भाग गरीब एवं अशिक्षित है, उनमें सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं का है, क्या इन परिस्थितियों में जहां महिला असमानता लैंगिक भेदभाव हिंसा शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार हैं, हम मान सकते हैं, कि वह सशक्त हो चुकी हैं, एवं अब उनके सशक्तिकरण कि कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषकर भारत जैसे देश के संदर्भ में जहां स्त्रीयों की सर्वाधिक आबादी परंपरागत ग्रामीण परिवेश में निवास करती है, और जहां समाज आज भी पित्रसत्तात्मक है, और परंपरागत नीति रीति रिवाजों का अनुकरण करता है।

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य :–

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार एवं अवसर मुहैया कराना एवं उनके इन अधिकारों को परिभाषित एवं स्थापित करना है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जहां महिलाऐं पुरुषों के समान समस्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके, जो उनके सर्वागीण विकास के उत्थान के लिए परम आवश्यक है

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि हम महिला प्रारिस्थिति का अवलोकन करें, तो पाएंगे कि महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में सदियों से अपने अधिकार राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित रखी गई व उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक चरण में पिता,पति एवं भाई के रूप में पुरुष की सत्ता को स्वीकार करना पड़ा है, और सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यह स्थिति किसी एक देश, धर्म व समुदाय की ना होकर वैश्विक थी।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में :–

18वी सदी तक विश्व भर में महिलाओं को विवाह, संपत्ति,ा रोजगार, परिवार एवं बच्चों के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर असमानता एवं भेदभाव का शिकार थी, उन्हें अपना मत व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं था। विदेश की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती थी। इन्हें समस्त कारकों ने नारीवादी विचारधारा के समर्थकों को महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा दी, फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण के प्रारंभ हुआ। सन् 1972 में ''मेरीवुल्सटन क्रेफ्ट की पुस्तक ''विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमेन'' प्रकाशित हुई। जिसने इस दिशा में क्रांतिकारी भूमिका अदा की। जिसे महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा स्त्रोत माना जाता है, उन्होंने ने अपनी कृति में लिंगभेद पर जोरदार

 Copyright • 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

हमला किया, उन्होंने पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान करने एवं सभी के लिए बनाए समान न्याय एवं अधिकारों की मांग की। 6

18वीं सदी के अंत एवं 19 वीं सदी की शुरुआत में महिलाऐं समान कार्य के लिए समान वेतन से वंचित थी। और महिलाओं के शादी कर लेने पर उन्हें अपने रोजगार से वंचित होना पड़ता था, जिस का सर्वाधिक प्रभाव नर्सिग प्रोफेशन पर पड़ा, क्योंकि उस समय सर्वाधिक महिलाएं नर्सिग व्यवसाय को अपनाती थी, इस समय में रोजगार संबंधी असमानताओं के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले लोगों में हॉगकॉग चाइनीज सिविल सर्वेट एसोसियेशन के अध्यक्ष लेजलीवाहल्यूगचुंग की भूमिका महत्पवूर्ण थी। 7

19 वीं सदी की शुरुआत में स्त्रियों को मताधिकार प्रदान करने की मांग ने जोर पकड़ा व समूचे विश्व में इस हेतु आंदोलन चलाए जाने लगे, जिसमें महिला संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परिणाम न्यूजीलैंड सन् 1893 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राष्ट्र बना गया। संपूर्ण विश्व में धीरे-धीरे महिलाएं भी मताधिकार में सहभागी बनी महिलाओं को मत अधिकारी मिल जाना नारीवादी की पहली शानदार सफलता थी। 8

सन् 1960 के बाद अनेक सवालों को लेकर राजनीतिक सक्रियता की एक नई लहर काफी नाटकीय ढंग से उभरी इस प्रकार महिलाओं को समर्पित नए संगठनों का निर्माण हुआ और सन 1950 और 1960 के दशक में महिलाओं के व्यवसायिक एवं शैक्षिक विकल्प का दायरा भी धीरे-धीरे बड़ा रहा था, परंतु इसी के समानान्तर रोजगार के क्षेत्र महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी बढ़ रहा था। 9

यह भी सत्य है, कि लिंग आधारित भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध भी महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही थी, और इसके खिलाफ लड़ने के लिए नए संगठन भी बने रहे थे, सन 1960 के दशक में केवल अमेरिका ही नहीं वरुण यूरोप और लगभग संपूर्ण विश्व में महिलाओं के विद्रोही तेवर वाले आंदोलन ने तूल पकड़ा, जिससे महिलाओं को काफी कुछ हासिल भी हुआ। साथ ही इन आंदोलनों ने महिलाओं की राजनीतिक चेतना को धारदार बनाया

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण के संबंध में विश्वव्यापी नारीवादी आंदोलन को मोटे तौर पर तीन चरणों में विभक्त किया जाता है। 10

प्रथम चरण 19वी सदी से प्रारंभिक 10 सदी को माना जाता है, इस समय महिलाओं के लिए मताधिकार कार्य परिस्थितिॉ एवं शैक्षणिक अधिकार प्रमुख मुद्दे थे। दूसरे चरण 1960 से 1980 के मध्य का माना जाता है, इस समय महिलाओं की समाज में भूमिका एवं अधिकार, सांस्कृतिक असमानता एवं वैधानिक भेदभाव प्रमुख मुद्दे थे, तीसरा चरण 1980 से 21वीं सदी की शुरुआत के मध्य को माना जाता है, इस समय महिलाओं के विरुद्धकारित अपराध लैंगिक भेदभाव, राजनीतिक सहभागिता एवं आर्थिक सशक्तता प्रमुख मुद्दे थे इस काल में महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विकास को समग्र रूप से अग्रेषित करने का प्रयास किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश 21वीं सदी में जिसे वैश्वीकरण का युग माना जाता है, वहां महिलाऐं आज भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव एवं असमानता की शिकार है। संसद, राजनीतिक दलों, मंत्रिमंडल प्रशासन, उच्च प्रबंध के पदों एवं न्यायिक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति पुरुषों की अपेक्षा अत्याधिक न्यून है। वे समान कार्य के लिए समान वेतन से वंचित है, उन्हें संपत्तियों एवं ग्रह स्वामित्व संबंधी अधिकार आज भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाये है, वे आज भी आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर है। कुपोषण एवं निम्नतम प्रजनन, स्वास्थ्य आज भी उनके लिए चुनौती है। इनके विरुद्ध बलात्कार मादा जननांगों से छेड़छाड, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी जैसे अपराधों में निरन्तर वृद्धि आज भी जारी है, ऐसी स्थितियों में यहां नहीं कहा जा

 Copyright • 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

सकता कि महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये अंतरराष्ट्रीय प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सफल रहे, उनकी असफलता के केंद्रों में कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन प्रमुख उत्तरदायी कारणों में से एक है।

भारत के संदर्भ में आधुनिक काल :–

भारतीय स्त्रियों के सन्दर्भ में पूर्व आधुनिक युग में किए गए प्रयासों का वास्तविक लाभ स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक युग में ही दृष्टिगोचर हुआ, भारतीय संविधान में महिला उत्थान हेतु विशेष प्रावधान जोड़े गए और संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाए कि उनकी नजरों में महिला और पुरुष समान है, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं पंचायत में आरक्षण प्रदान कर उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित की गई, भारतीय संसद द्वारा लिंगभेद एवं असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं के संदर्भ में विशेष कानूनों का निर्माण किया गया, ताकि उनके विरुद्ध हो रहे शोषण, अत्याचार, असमानता, हिंसा, लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके

इस प्रकार मोटे तौर पर भारत में महिला सशक्तिकरण की इतिहास को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है जिसमें 1850 से 1915 के समय को प्रथम चरण माना गया है जिसके प्रारंभ का श्रेय पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय पुरुषों को जाता है, जिन्होंने भारत में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक दैत्यों को नाश करने एवं महिला शिक्षा को मिटाने व संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्रदान करने और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने के लिए आवाज बुलंद की। 11

द्वितीय चरण सन 1915 से 1947 के मध्य का माना जाता है, इस अवधि के दौरान उपनिवेशिक शासक के विरुद्ध संघर्ष ओर तेज हुआ, इस संघर्ष में गांधी जी ने महिलाओं को भी सम्मिलित होने एवं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का आग्रह किया फलस्वरूप (ए.आई.डब्ल्यू.सी.) ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस (एन.एफ.आई.डब्ल्यू) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन जैसे संगठनों का उदय हुआ। जिन्होंने महिलाओं को महिलाओं से संबंधित मामलों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जिनमें राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को मताधिकार सामाजिक उपाधियां और राजनीतिक दलों में लीडर की भूमिका प्रमुख थी। 11

सन 1920 का समय महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक नए युग के सूत्रपात के रूप में जाना जाता है इस समय महिला उत्थान हेतु विभिन्न स्थानीय महिला संगठनों का उदय हुआ जिन्होंने महिला शिक्षा संबंधित मुद्दो एवं नौकरीपेशा महिलाओं एवं उनके आजीविका के संबंध में सुधारों पर सर्वाधिक जोर दिया, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए प्रभावकारी योजना बनाकर मातृ स्वास्थ्य बच्चों की देखभाल संबंधी उपायों, समान कार्य के लिए समान वेतन जिसे मामलों को प्रभाव पूर्ण रूप से उठाया।

तीसरा चरण 1947 के बाद का माना जाता है इस समय तक भारत स्वतंत्र हो चुका था लेकिन देश महिला अभी के लिंग भेद, असमानता और सामाजिक कुरीतियों के आधीन थी, इस बात को देश के सविधानविद भली–भांति जानते थे इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर कमजोर स्थिति का विशेष ध्यान रखें किंतु दुर्भाग्यवश परिणाम आशा अनुसार पात्र नहीं हो पाऐं। अतः सन 1970 में महिला संगठनों एवं समाजविदों के दबाव के फलस्वरूप कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया (सी.एस.डब्ल्यू.आई.) का गठन किया।

Copyright • 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

जिसके कारण स्वतंत्रता से अब तक महिलाओं की देश में वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, इस कमेटी ने अपने सर्वे में कहा कि महिला आज भी देश में विभिन्न स्तरों पर लिंगभेद,आसमानता शोषण एवं अत्याचार का शिकार है, अतः एक ऐसी संस्था के गठन की मांग उठी, जो समय-समय पर महिला संबंधी समस्याओं का पता लगाकर उनके निराकरण के उपाय प्रस्तुत करें एवं की आवाज को सशक्त करें, परिणाम स्वरूप 1990 में काफी लंबे संघर्ष के बाद महिला आयोग का गठन हुआ, किन्तु दुर्भागवश उनकी स्थापना भी महिला उत्थान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद नहीं कर पाई।

निष्कर्ष :-

महिलाऐं आज भी प्रजनन, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, संपत्ति, ग्रहस्वामित्व उच्च पदों पर नियुक्ति, समान वेतन, राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्र में लिंग भेद एवं असमानता का शिकार है, उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रुण हत्या, बाल अपराध देह व्यापार जैसे अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, इन परिस्थितियों एवं वातावरण में भी यह नहीं कर सकता कि महिला सशक्तिकरण हेतु बनाई गई विधियॉ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है, महिलाओं के संबंध में इन परिस्थितियों को देखकर बरबस ही रहना पड़ता है कि

'' अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आंचल में दूध ओर आंखों में पानी''

महात्मा गांधी ने हिन्द स्वराज्य में लिखा है कि जब तक आधी मानवता की ऑखों में ऑसू है। मानवता पूर्ण नहीं की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

01. वुमिन एण्ड द.लॉ.जी.वी. रेड्डी पंचम संकरण वर्ष 2005 पृ.सं.-1 गोयल लॉ एजेंसी हैदराबाद।

02. Women empowerment and gender justice by enable Mr justice Deepak Mishra judge Supreme Court of India on 15.06.2013 at Tamilnadu State judicial Academy during the special training programme.

03. A critical study of empowerment of women towards equality Dr.P.Agaryar Karni general of innovative Research and solution volume- 1 issues no.1 January 2014.

04. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-IBM) vol-17] issue 4 April 2015 page 13.

05. भारतीय समाज महिलाऐं, नीरा देसाई और उषा टक्कर सेकंड संस्करण वर्ष 2011 में पृ.स.1 से 19 प्रकाशन, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया।

 Copyright • 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

06. Lauren Paul Garden 2005. the evolution of international Human Rights vision see in University of Pennsylvania praise page number 29 and 30.

07. Naish Camille (1991) death comes to the maiden sex and execation 1431-1933 Routelegs P 137.

08. Dr. Robert at a money 2010 the bable natural theology and natural law conflict or compromise xulon press page number 297 .

09. HKCC sa org. retrieved 9 December 2013.

10. HIstory of feminism from from Wikipedia the free encyclopaedia.

11. Feminism in India from Wikipedia the free encyclopaedia.

 Copyright • 2020 Authors